30.10.19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

26/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

10/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार खोद से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शा. पर है। पत्रावली वास्ते बहस विभाजन प्रस्ताव दिनांक 16/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

16/12/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। बहस स्वीकृति प्रस्ताव पर सुनी गई। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 31/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

31/12/19 पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर गौर किया। वादी का वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार, खोद को लिखा जावे। विधि। डिक्री अलग से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, [illegible]

उपखण्ड अधिकारी।
खोद म सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस

मुकदमा नंबर – 5/2019

चुन्नीलाल पुत्र खींवाराम आयु 42 वर्ष जाति जाट निवासी मूण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर
–वादी

ब ना म

1. मदनलाल पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी मूण्डवाड़ा तहसील धोद जिला सीकर
2. गुलाबदान पुत्र भंवरदान
3. बैरीसालदान पुत्र भंवरदान
4. उमरावदान पुत्र भंवरदान
5. हनुमानदान पुत्र भंवरदान
6. हणमानदान पुत्र भंवरदान
   (दोहरी प्रविष्टि प्रति. सं. 5)
7. इन्द्रदान पुत्र भंवरदान
8. कमला कंवर बेवा भंवरदान
   समस्त जाति चारण निवासी सवाईराम की ढाणी तहसील धोद जिला सीकर
9. पंजाब नेशनल बैंक, शाखा बाडलवास तहसील धोद जिला सीकर
10. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रेकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधि0 व अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री भागीरथमल जाखड़ वकील वादी की ओर से

–:निर्णयः–

सत्यमेव जयते

दिनांक– 31.12.2019

वादी द्वारा प्रस्तुत विभाजन के वाद के संबंध में एकपक्षीय सुनवाई के बाद दिनांक 03.10.2019 को वादग्रस्त आराजी खसरा सं. 244 रकबा 12.02 हैक्टर वाके तन मुण्डवाडा तहसील धोद जिला सीकर के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा हेतु तहसीलदार, धोद जिला सीकर को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांक/भू.अ./2019/3699 दिनांक 27.11.2019 के द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी के अभिभाषक ने उक्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वाद डिक्री किये जाने पर सहमति प्रकट की। बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस में वादी के अधिवक्ता ने तहसीलदार, धोद के प्रस्तावानुसार बंटवारे की अंतिम डिक्री करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया, समग्र पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मुताबिक प्राथमिक डिक्री है। अतः प्रकरण में विवादित भूमि के बंटवारें की अंतिम डिक्री तहसीलदार के प्रस्तावानुसार किया जाना उचित है। अतः विवादित भूमि आराजी खसरा सं. 244 रकबा 12.02 हैक्टर वाके तन मुण्डवाडा तहसील धोद जिला सीकर का निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक–पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. चुन्नीलाल पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. देह	244 मिन	0.62 हेक्टेयर
2. मदनलाल पुत्र धन्नाराम, ग्यारसी पुत्री धन्नाराम जाति जाट सा. देह हि. रकबा 0.62 है. इन्द्रदान पुत्र भंवरदान(बिनारहन) कमला कंवर पत्नी भंवरदान (बिनारहन) उमरावदान पुत्र भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) गुलाबदान पुत्र भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) बेरीसालदान पुत्र भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) हनुमानदान पुत्र भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) समस्त जाति चारण सा. सवाईराम की ढाणी हि. रकबा 10.78 हेक्टेयर	244 मिन	11.40 हेक्टेयर

तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुख्यालय सीकर

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी मु. सीकर
धोद म सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

चुन्नीलाल बनाम मदनलाल आदि

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा, रेकॉर्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दावा मुकदमा नं. 06/2019 निर्णय दिनांक– 31.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव, आरएएस व हाजिरी श्री भागीरथमल जाखड़, एड. रूबरू......... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जा है कि वादी के वाद में तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर खसरा नम्बर– 244 रकबा 12.02 हैक्टर वाके तन मुण्डवाडा तहसील धोद जिला सीकर में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. चुन्नीलाल पुत्र खींवाराम जाति जाट सा. देह	244 मिन	0.62 हैक्टेयर
2. मदनलाल पुत्र धन्नाराम, ग्यारसी पुत्री धन्नाराम जाति जाट सा. देह हि. रकबा 0.62 है. इन्द्रदान पुत्र भंवरदान(बिनारहन) कमला कंवर पत्नी भंवरदान(बिनारहन) उमरावदान पुत्र भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) बेरीसालदान पुत्र गुलाबदान पुत्र भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) हनुमानदान पुत्र भंवरदान (राहिन भंवरदान (राहिन पीएनबी शाखा बाडलवास) समस्त जाति चारण सा. सवाईराम की ढाणी हि. पीएनबी शाखा बाडलवास) रकबा 10.78 हैक्टेयर	244 मिन	11.40 हैक्टेयर

तहसीलदार, धोद से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय/डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग–अलग खसरान को अलग–अलग हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम कर अलग–अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31.12.2019 को जारी की गई।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के लिए स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajpal Yadav
Date: 2020.01.06 14:30:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: